

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] No. 101] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2017/माघ 24, 1938

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2017/MAGHA 24, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 124(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पंरतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, फील्ड कार्यालय (कंपनी अभियोजक – समूह 'ख', राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2011 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, फील्ड कार्यालय (कंपनी अभियोजक समूह 'ख', राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त माने जाएंगे।
- 2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, फील्ड कार्यालय (कंपनी अभियोजक समूह 'ख', राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2011 (जिन्हें इसके बाद मूल नियम कहा गया है), में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर इससे संबंधित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनीर्दिष्ट है।"
- 3. मूल नियमों में अनुसूची के स्तंभ (4) में -
 - (क) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर।";

(ख) वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"44,900 – 142400/- रुपए के वेतन मैट्रिक्स में स्तर <mark>7</mark>"।

[फा. सं. ए-12011/05/2016-प्रशा.II]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

766 GI/2017 (1)

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- नई वेतन संरचना के संदर्भ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, फील्ड कार्यालय (कंपनी अभियोजक – समूह 'ख', राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2011 में एकरूपता लाने के लिए इन नियमों को पूर्व व्याप्ति प्रभाव देना अपेक्षित है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्व व्याप्ति प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पण: मूल नियम 12 सितंबर, 2011 की सा.का.नि. 670(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 12 सितंबर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2017

- **G.S.R. 124(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Field Offices (Company Prosecutor-Group 'B', Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2011, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Field Offices (Company Prosecutor-Group 'B', Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) These rules shall be deemed to have come into force from the 1st day of January, 2016.
- 2. In the Ministry of Corporate Affairs, Field Offices (Company Prosecutor-Group 'B', Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2011 (herein after referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
- "2. Number of posts, classification, Level in the Pay Matrix— The number of posts, their classification, Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".
- 3. In the principal rules, in the Schedule, in column (4),--
 - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "Level in the Pay Matrix.";
 - (b) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
 - "Level 7 in the Pay Matrix of ₹ 44900-142400.".

[F. No. A-12011/05/2016-Ad.II]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum:- In order to bring uniformity in the Ministry of Corporate Affairs, Field Offices (Company Prosecutor-Group 'B', Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2011, in terms of the new pay structure retrospective effect is required to be given to these rules. It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th day of September, 2011 *vide* notification number G.S.R. 670(E) dated the 12th day of September, 2011.